

Spl Case No.

At Danapur - 427/26

..1.1.04.26

अभि 1. वि. र. नं. ... कुमा. (2) ... शि. र. नं. ... रा. म. ...
(3) ... ज. र. नं. ... कुमा. (4) ... (5) ... की ओर से

अर्थदण्ड की राशि मो०...३०००४५...रुपया नाजिर
रसीद संख्या १...११११११...२...११११११...

1 22/2/9, R. 22/2/20..... दाखिल किया गया।
तत्पश्चात् मुक्त किया जाता है।

ले०

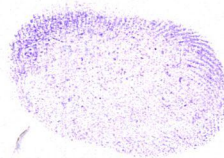
gr Spl. Judge Ex DNR

मित्र-सामन्त-उग्र-पुं

②७ -पार-मुद्राय मां

2178 24th Street

92/10/11



Exclusive Special Excise Court, Danapur

Special Case No

...EXDNR..... P.S. Case No. 427/26.....

Bihar Prohibition & Excise Act.

Order with Signature of the Court

11/04/26. Received F.I.R. ...EXDNR..... P.S. Case No. 427/26... Under section 37 Bihar Prohibition & Excise Act, 2018 against the accused person namely ① बिरेंद्र कुमार ② शंकर राम ③ आम प्रकाश कुमार ④ सनात पास seen. Register it and put up on awaiting for receipt of Final Form.

(Dictated)

z/ Exclusive Special Excise Judge,
Danapur

तत्पश्चात् : अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त/ अभियुक्तगण ① बिरेंद्र कुमार 34-40 पिता : ... ② शंकर राम 34-40 पिता : ... ③ आम प्रकाश कुमार 34-45 पिता : ... ④ सनात पास 34-40 पिता : ... को गिरफ्तार कर उचित पुलिस मार्ग संरक्षण दल के साथ न्यायालय में अग्रसारण प्रतिवेदन, गिरफ्तार ज्ञापांक एवं काण्ड दैनिकी की छायाप्रति के साथ न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। अभियुक्त/ अभियुक्तगण मार्ग संरक्षण दल बल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा फार्म VI में अपने जॉच प्रतिवेदन में अभियुक्त पर प्रथम बार शराब सेवन अंकित किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त/ अभियुक्तगण पर धारा 37- बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम बार शराब का सेवन का आरोप है। अभियुक्त स्वेच्छा से अपने दोष स्वीकार करते हैं।

अतः अभियुक्त/ अभियुक्तगण द्वारा मो0 अर्थ दण्ड की सजा दी जाती है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर 30 दिनों का साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

लेखापित

z/ विशेष उत्पाद न्यायाधीश
दानापुर